

कार्यालय, निदेशक-माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

यह है कि गैर सरकारी विद्यालय-शक्ति शिक्षा एकेडमी सी०सै० स्कूल, शक्ति नगर, गजसिंहपुरा, जयपुर के विरुद्ध केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण पर दिये गये निर्देशों की अवेहलना करने की शिकायत प्राप्त हुई है।

विश्व संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गयी एडवाजरी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निदेशालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा-मा/मा-स/विविध दिवस/2018/198 दिनांक 14.03.2020 के द्वारा 30 मार्च 2020 तक राज्य के समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान बन्द किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 19.03.2020 को गैर-सरकारी विद्यालय शक्ति शिक्षा एकेडमी सी०सै० स्कूल, शक्ति नगर, गजसिंहपुरा, जयपुर द्वारा विद्यालय संचालित कर परीक्षाएँ आयोजित किये जाने की सूचना पायी गई है। औचक निरीक्षण के दौरान विद्यालय संचालित पाया गया जिसमें विद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही थी। विद्यालय प्रशासन के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम पूर्व से ही निर्धारित होने का हवाला दिया गया। जिशिअ के द्वारा विद्यालय संचालन की फोटोग्राफी तथा विडियोग्राफी भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई है।

अतः प्रकरण की गम्भीरता पूर्वक मनन, चिंतन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के नियम 7(3)" में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संस्था की माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12 तक) की क्रमोन्नति तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित की जाती है।

संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के निर्बाध अध्ययन को सुनिश्चित करने हेतु समीपवर्ती अन्य विद्यालयों में प्रवेश, अध्ययन एवं परीक्षा की अनुमति प्रदान की जाती है तथा इस सम्पूर्ण कार्यवाही के समुचित रूप से सम्पादन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह विद्यार्थियों के लिए निर्बाध अध्ययन के क्रम में उक्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का अन्य विद्यालय में प्रवेश बाबत स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर यह भी सुनिश्चित करें कि विद्यालय में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रवेश समीप के अन्य विद्यालयों में हो गया है तथा उनका अध्ययन निर्बाध रहे।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर


www.rajteachers.com

क्रमांक :- शिविरा-मा/पीएसपी/शिकायत/जांच रिपोर्ट/ जयपुर मण्डल/शक्ति शिक्षा एकेडमी/जयपुर/2019 दिनांक:- 19/03/20
प्रतिलिपि:-

1. शासन उप सचिव स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
2. पीएसपी(मान्यता) अनुभाग, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि उक्त गैर-सरकारी विद्यालय की, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के निर्देशानुसार विद्यालय की प्रारम्भिक स्तर की मान्यता समाप्त की जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाये।

3. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि संस्था का आगामी सत्रों हेतु संबद्धता आवेदन स्वीकार नहीं करें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त आदेश की पालना करवाने की सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित संस्था सचिव-शक्ति शिक्षा एकेडमी सी0सै0 स्कूल, शक्ति नगर, गजसिंहपुरा, जयपुर,

www.rajteachers.com


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर